

समाज कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट,
नई दिल्ली.
(विकलांग कल्याण शाखा)

आतंशापू
आर.टी.आई

एफ न 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2015/Part-1/ 16205

दिनांक:

सेवा मे,

01 OCT 2015

श्री उपेंद्र कुमार,
पुत्र श्री प्रकाश राय,
आर -3 बी, आर ब्लॉक,
दिलशाद गार्डन, दिल्ली -110095.

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

संदर्भ: आई.डी न. 2015318 दिनांक: 24/09/2015।


महोदय,

आपके द्वारा लिखा गया पत्र सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समाज कल्याण विभाग के विकलांग कल्याण शाखा मे दिनांक 29/09/2015 को प्राप्त हुआ। उपरोक्त विषय पर आपके द्वारा मांगी गई सूचना विकलांग कल्याण शाखा मे उपलब्ध रेकॉर्ड के अनुसार निम्न प्रकार है:-

| प्रश्न संख्या | उत्तर/ जवाब |
|---------------|--|
| 1. | यदि किसी व्यक्ति के पास 40% या इससे अधिक प्रतिशत का विकलांगता सर्टिफिकेट है तो वह व्यक्ति नियमानुसार विकलांगों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है जैसे डीटीसी पास, रेलवे पास, पेंशन आदि। समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं की सूची Annexure A के रूप मे स्लग्न है। |
| 2. | ऐसी कोई योजना इस विभाग द्वारा नहीं चलाई जा रही है। रोजगार के लिए आप रोजगार कार्यालय मे अपना पंजीकरण करवा सकते है। |
| 3. | ऐसी कोई योजना इस विभाग द्वारा नहीं चलाई जा रही है। |
| 4. | इस शाखा से संबन्धित नहीं है |
| 5. | स्व रोजगार हेतु सियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए आप दिल्ली एससी/एसटी/ओबीसी/माइनोरिटीस, हैंडीकैप्ड वित्त विकास निगम अंबेडकर भवन, रोहिणी सैक्टर 16, नई दिल्ली -85 एसई संपर्क केएआर एसएकेटीई है। |

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी/ अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी एल अन एस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 के समक्ष अपील कर सकते है।

स्लग्न: उपरोक्त अनुसार


30/9/15

भवदीय

जन सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक (विकलांग)


एफ न 82/1003/RTI/AD-III/DSW/2015/Part-1/ 16205

01 OCT 2015

दिनांक:

1. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर सेल, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी एल अन एस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002 - समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

2. उपनिदेशक, आर. टी. आई. सेल, समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, जी एल अन एस परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002- सूचना हेतु।


30/9/15

जन सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक (विकलांग)

1774 CC
01/10/15

Annexure A / एमसर 'ए'

लांग कल्याण शाखा के अन्तर्गत 'नेशनल प्रोग्राम फोर रिहैविलिटेशन ऑफ पर्सन्स विथ डिस्पैविलिटीज' (एन.पी.आर. डी.) की स्कीम है। इसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, (विकलांग कल्याण शाखा) निःषक्त जन हेतु **General Disability Camp**, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से शिविर का आयोजन करता है इस शिविर(कैम्प) के द्वारा विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है जैसे :-

1. विकलांगता प्रमाण पत्र सरकार द्वारा नोटिफाइड क्षेत्रीय सरकारी अस्पतालों द्वारा जारी किया जाता है,
2. विकलांगता पहचान पत्र क्षेत्रीय जिला आयुक्त के द्वारा जारी किया जाता है,
3. इंटीग्रेटेड स्कूलों में पंजीकरण करने की सुविधा की जानकारी शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान की जाती है,
5. आउटिजम व सेरेब्रल पल्सी व्यक्तियों हेतु सेवाएं
6. एड्स एण्ड अप्लाईसेज
7. समाज कल्याण विभाग के वित्तीय सहायता योजना की फार्म

इन शिविरों के आयोजन की जानकारी समय समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती है ।

- (ब) समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा विकलांगों को नियमानुसार 1500 रुपए मासिक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना चलाई जा रही । इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथी अपने क्षेत्र के जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।